न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : निगरानी–छिन्दवाड़ा/भू0रा0/2018/4825 विरूद्व- आदेश दिनांक 24–7–2018 – पारित व्दारा - अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर - प्रकरण कमांक 679 अ–27/2015–16 अपील

1– भोलाप्रसाद साहू पुत्र स्व. पितरू साहू
2– ओमकार साहू पुत्र स्व. पितरू साहू
निवासीगण ग्राम साबलेवाड़ी, बरारीपुरा
तहसील व जिला छिन्दवाड़ा
3– बेनीप्रसाद साहू पुत्र स्व. पितरू साहू
निवासी लालबाग, छिन्दवाड़ा
तहसील व जिला छिन्दवाड़ा

——आवेदकगण

विरूद्व

1– बदामीलाल साहू पुत्र स्व. पितरू साहू
2– पप्पू उर्फ मंगल साहू पुत्र स्व. पितरू साहू
3– पंखीवाई साहू पुत्री स्व. पितरू साहू
मृतक वारिस
अ– गेंदलाल ब– गंगाराम स– मंगल पुत्रगण स्व. कपूरचंद साहू
द– श्रीमती श्यामशीला साहू पति स्व.सुमरन साहू
इ– नवनीत पिता फ– निशॉत साहू
ज– नितेश साहू तीनों पुत्रगण स्व. कपूरचंद साहू
सभी निवासी कुणाल मोटर्स के सामने सरदार डाला बॉडी
के बाजू में नरसिंहपुर रोड छिन्दवाड़ा मध्य प्रदेश

——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक 1,2 के अभिभाषक श्री शौरभ जैन)
(शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 18 अप्रेल, 2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 679 अ–27/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–7–18 के विरूद्व म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 1 एंव 2 ने तहसीलदार छिन्वाड़ा को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग की कि उभय पक्ष एक ही पिता की संतान है एंव मौजा छिन्दवाड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 975 रकबा 3-116 हैक्टर है (आगे इसी भूमि को वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) जिसका विवाद उनकी बहिन से चला है। मामला मान. उच्च न्यायालय तक चला है परन्तु स्थगन न होने से वादग्रस्त भूमि में हिस्सेदारी होने से बटवारा कर दिया जावे। तहसीलदार छिन्दवाड़ा ने प्रकरण कमांक 68 अ 27/2013-14 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 6-10-15 पारित करके वादग्रस्त भूमि का बटवारा स्वर्गीय पितरू साहू के पुत्रों के नाम कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी छिन्दवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी छिन्दवाड़ा ने प्रकरण कमांक 18 अ 27/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-16 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण कमांक 679 अ-27/2015--16 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-7-18 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक 3 के वारिसान सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उपस्थित पक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार छिन्दवाड़ा के प्रकरण में पृष्ठ 4 पर वादग्रस्त भूमि के खसरा पंचशाला वर्ष 2014-15 की छायाप्रति संलग्न है जिसके कालम नंबर 3 में इस प्रकार अंकन है :-

बदामीलाल भोलाप्रसाद ओंकार बेनी पप्पू
पुत्रगण पितरू सुखिया वि. पितरू साहू
पता नि.ग्राम भूमिस्वामी कास्त

इसी भूमि का बटवारा तहसीलदार ने आदेश दिनांक 6-10-15 से निम्नानुसार पक्षकारों के बीच किया है -

1- बदामीलाल पिता पितरू साहू

2– भोलाप्रसाद पिता पितरू साहू
3– ओंकार पिता पितरू साहू
4– बेनी पिता पितरू साहू
5– पप्पू पिता पितरू साहू

तहसीलदार ने आदेश दिनांक 6-10-15 में अंकित किया है कि हलका पटवारी ने अपने फर्द प्रतिवेदन में सुखिया वि. पितरू साहू को फोत बताते हुये उसके वारिसानों का नाम सामिल खाते में दर्ज बताया हे। प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 975 रकबा 3-116 है. वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उभय पक्षकारों के नाम पर दर्ज है। माननीय व्यवहार न्यायालय के वाद क्रमांक 10 अ 1994 निणर्य दिनांक 16-11-1995 में पंखीवाई को भूमि का 1/6 स्वत्व एंव आधिपत्यधारी घोषित किया गया है उक्त आदेश के परिपालन में इस न्यायालय के रा0प्र0क्र0 33 अ 27/14-15 आदेश दिनांक 5-10-15 में आदेश पारित कर खसरा नं. 975 में से रकबा 0.520 है. भूमि का बटवारा पंखीवाई पति कपूरचंद के पक्ष में किया जा चुका है अर्थात उक्त रकबा कम होने के उपरांत वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शेष खातेदार आवेदक क्रमांक 1, 2 एंव अनापवेदक क्रमांक 1,2,3 के नाम खसरा नं. 975 में से रकबा 2-296 है. भूमि शेष बचती है। आवेदकगणों व्दारा संपूर्ण भूमि का 1/6 अंश के आधार पर बटवारा चाहा है। अनुविभागीय अधिकारी छिंदवाड़ा के समक्ष अपील में तहसीलदार के आदेश दिनांक 6-10-15 के विरूद्ध यह मांग रखी गई थी कि खसरा नंबर 975 कही कुल भूमि 7-70 एकड है एंव खसरा नंबर 982/2 का रकबा 0.81 एकड़ है इस प्रकार 8-5 एकड़ भूमि एंव एक मकान कवेलू वाला 300 वर्गफुट सामिलाती है तद्नसार बटवारे पर विचार होना चाहिये था जब यह भूमि माननीय व्यवहार न्यायालय में स्वत्व के मामले में विचाराधीन थी तहसीलदार को बटवारा नहीं करना था।

तहसीलदार ने आदेश दिनांक 6-10-15 में अंकित किया है कि व्यवहार वाद क्रमांक 10 अ/1994 निर्णय दिनांक 16-11-1995 से पंखीवाई का 1/6 स्वत्व घोषित हुआ है प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 37 अ/1996 में भी हकदार घोषित हुई है । द्वित्तीय अपील क्रमांक 751/14 माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। विचार योग्य है कि जब माननीय उच्च न्यायालय में स्वत्व विवाद अपील में लम्बित है एंव पक्षकारों के बीच किस पक्षकार के हित में कितनी भूमि आवेगी – यह तथ्य मान. उच्च न्यायालय में स्वत्व विवाद अपील में निर्धारित होना है तब क्या राजस्व न्यायालय ऐसी विवादित भूमि के बटवारे का विवाद

सुलझाने हेतु सक्षम है ?

गुलाब विरूद्व मांगीलाल 1992 रा0नि0 341 पर माननीय उच्च न्यायालय का एंव पैतराम विरूद्व राजस्व मण्डल 1968 रा.नि. 158 = 1968 J L J 304 के न्याय दृष्टांत हैं कि धारा 178 के अधीन खातो को विभाजित करने की तहसीलदार की अधिकारिता अत्यंत सीमित है। वस्तुतः जहां अंशधारी अथवा उनके अंश आदि का कोई विवाद न होकर केवल खाते को अलग अलग प्रभावित किया जा सकता हो, तभी तहसीलदार को विभाजन की निर्वाध अधिकारिता प्राप्त है। जैसे ही कोई हक संबंधी प्रश्न उठा दिया जाए, तहसीलदार को उसके अवधारण की अधिकारिता नहीं रहती। जब तक ऐसे प्रश्न का अवधारण सिविल वाद व्दारा न हो जाए, तहसीलदार व्दारा विभाजन नहीं किया जा सकता। तहसीलदार को यह अधिकारिता नहीं है कि वह यह निर्विर्दिष्ट करे कि हक संबंधी प्रश्न तथ्यपूर्ण है या नहीं , यह अधिकारिता सिविल न्यायालय को है।

वादग्रस्त भूमि का स्वत्व विवाद पूर्णरूप से निराकृत नहीं हुआ है एंव मामला माननीय उच्च न्यायालय में अपीलाधीन है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि का तहसीलदार छिन्दवाड़ा व्दारा आदेश दिनांक 6–10–15 से किया गया बटवारा दोषपूर्ण कार्यवाही है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी छिन्दवाड़ा ने आदेश दिनांक 5–5–16 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने आदेश दिनांक 24–7–18 पारित करते समय ध्यान न देने में भूल की है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 679 अ–27/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–7–18 , अनुविभागीय अधिकारी छिन्दवाड़ा व्दारा प्रकरण कमांक 18 अ 27/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–5–16 एंव तहसीलदार छिन्दवाड़ा व्दारा प्रकरण कमांक 68 अ 27/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 6–10–15 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं । वादग्रस्त भूमि तहसीलदार छिन्दवाड़ा के आदेश दिनांक 6–10–15 के पूर्व की स्थिति में राजस्व अभिलेख में यथावत् रखी जावे। मान. उच्च न्यायालय से भूमि विवाद अंतिम होने के वाद पक्षकार तहसील न्यायालय में बटवारा कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र हैं।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर